E Mail

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्या:कल्याण–12ए–चिकित्सा निर्देश–2011 दिनांक:अप्रैल **27**, 2017

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उ0प्र0।

विषय: उत्तर प्रदेश के सेवारत / सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों का कैशलेस उपचार की सुविधा के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि सेवारत / सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों के कैशलेस उपचार के सम्बन्ध में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा अनुभाग–6) उ0प्र0शासन लखनऊ की अधिसूचना संख्या 365 / 2016 / 3124 / पॉच–6–2016–19जी / 6 दिनांक 27.12.2016 द्वारा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में संधोधन कर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 वेबसाइट upsects.in पर उपलब्ध है।

2. उक्त नियमावली के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रितों को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में आपातकालीन एवं असाध्य रोगों का इलाज सी0जी0एच0एस0 दरों पर समस्त राज्य कर्मचरियों एवं पेंशन धारकों को अनुमन्य किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्राक्कलित धनराशि के पन्चान्नबे प्रतिशत तक चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

3. कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी / कोषाधिकारी तथा कर्मचारियों / पेंशन धारकों का पंजीकरण कर हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है जिसकी सहायता से अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी / कोषाधिकारी की पंजीकरण प्रकिया एवं कर्मचारी / पेंशनर पंजीकरण प्रक्रिया अलग–अलग निर्धारित की गयी है। इस प्रक्रिया से सम्बन्धित अलग–अलग विवरण संलग्न हैं।

4. अतएव शासन की अधिसूचना दिनांक 27.12.2016 वेबसाइट upsects.in के माध्यम से डाउनलोड कर उसमें विहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोपरि।

(डा0 संजीव गुप्ता)
पुलिस महानिरीक्षक,भवन / कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

आहरण–वितरण अधिकारी / कोषाधिकारी की पंजीकरण प्रक्रिया

- वेबसाईट upsects.in खोलें।
- "DDO/TO Registration" पर क्लिक करें।
- DDO/TO Registration Form ऑनलाईन भरें।
- "Submit" बटन पर क्लिक करें।
- तत्पश्चात् "Add Office" का फॉर्म भरें एवं "Submit" बटन पर क्लिक करें।
- फार्म Submit करने पर डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 को उनके पंजीकृत मोबाइल पर 01 ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा जिसका प्रयोग कर डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 अपने भरे हुए पंजीकरण फार्म का प्रिन्ट / डाउनलोड कर सकेगें।
- प्रिन्ट किये हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षरित फॉर्म को अपने नियंत्रक अधिकारी से सत्यापित करायें।
- सत्यापित फॉर्म को स्कैन करते हुए ई–मेल आई0 डी0– support@upsects.in पर प्रेषित करें।
- सत्यापित फॉर्म की हार्ड कॉपी निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भी प्रेषित करें।

  साची (State Agency for Comprehensive Health Insurance)
  चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र,
  10, अशोक मार्ग,
  हजरतगंज, लखनऊ–226001।

- राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ द्वारा डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 के फॉर्म का ऑनलाईन सत्यापन करने के पश्चात् सम्बन्धित डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर उनका यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्रेषित कर दिया जायेगा।
- फॉर्म भरते समय सी0यू0जी0 मोबाईल नम्बर अंकित करें। सी0यू0जी0 नम्बर उपलब्ध न होने पर ही व्यक्तिगत मोबाईल नम्बर अंकित करें।

राज्य कर्मचारी / पेंशनर्स के फॉर्मभरने की प्रक्रिया

- वेबसाईट upsects.in खोलें।
- "Employee Gateway" पर क्लिक करें।
- Registration Form ऑनलाईन भरें। फॉर्म भरते समय डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 कोड एवं राज्य कर्मचारी तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड नम्बर एवं फोटो की आवश्यकता होगी।
- फार्म Submit करने पर कर्मचारी / पेंशनर्स को उनके पंजीकृत मोबाइल पर 01 ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा जिसका प्रयोग कर कर्मचारी / पेंशनर्स अपने भरे हुए पंजीकरण फार्म का प्रिन्ट / डाउनलोड कर सकेगें।
- हस्ताक्षरितं फॉर्म को अपने डी0डी0डी0 / टी0ओ0 के पास जमा करायें अथवा डाक द्वारा प्रेषित करें।
- डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 द्वारा सत्यापित फॉर्म अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखा जायेगा एवं उसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित कर्मचारी / पेंशनर को प्राप्त करायी जायेगी।
- डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 द्वारा कर्मचारी / पेंशनर के फॉर्म को ऑनलाईन सत्यापित किया जायेगा, जिसके पश्चात् राज्य स्तर पर कार्ड प्रिंट किया जा सकेगा।
- प्रिन्टिंग के पश्चात् प्लास्टिक "हेल्थकार्ड" सम्बन्धित डी0डी0डी0 / टी0ओ0 के माध्यम से कर्मचारी / पेंशनर को प्राप्त कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारी / पेंशनर को निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से कार्ड स्वयं प्रिंट करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
    - डी0डी0ओ0 / टी0ओ0 द्वारा ऑन लाईन फॉर्म सत्यापित करने के पश्चात् कर्मचारी / पेंशनर को ऑटो–एस0एम0एस0 द्वारा कर्मचारी / पेंशनर का यूजर आई0डी0 उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा।
    - कर्मचारी / पेंशनर वेबसाईट upsects.in में लॉग–इन के लिए यूजर आई0डी0 डालेंगे तथा ओ0टी0पी0 बटन पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात् उन्हें उनके पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से वे वेबसाईट में कार्ड प्रिंटिंग पेज पर पहुंच कर अपना हेल्थ कार्ड प्रिंट कर सकेंगे।